

शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ईआरडीओ) Education Research And Development Organisation (ERDO)

परीक्षा केन्द्र - आगरा, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, लखनऊ (किन्हीं दो केन्द्रों को अंकित करें)

आवेदन पत्र का प्रारूप

Affix Photo

आवेदित पद का नाम

परीक्षा केन्द्र- 1.....2.....

- आवेदक का नाम
- पिता/पति का नाम
- जन्मतिथि
- जातिश्रेणी.....
- राष्ट्रीयता
- पत्रव्यवहार का वर्तमान पता ग्राम.....पो०.....तह०.....
वि०खण्ड.....ग्राम पंचा.....जिला.....
- स्थायी पता ग्राम.....पो०.....तह०.....
वि०खण्ड.....ग्राम पंचा.....जिला.....
- टेलीफोन/मोबा.नं.- (यदि हो तो)
- शैक्षिक योग्यतायें (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विवि.	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1.	हाईस्कूल/समकक्ष						
2.	इण्टरमीडिएट/समकक्ष						
3.	स्नातक/समकक्ष						
4.	स्नातकोत्तर/समकक्ष						
5.	अन्य						

- बैंक ड्राफ्ट नं..... बैंक का नाम.....
शाखा..... तिथि.....

घोषणा-पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि 1- मैंने विज्ञप्ति में दी गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं, वे सभी मुझे मान्य हैं और शर्तें भी पूरी करता/करती हूँ। 2- मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये, नियुक्ति हो जाने के उपरान्त यदि ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जायें।

- संलग्नकों की संख्या.....

स्थान.....

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (पठनीय)

आवेदन भेजने का पता :

सेवा में,
निदेशक,
शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
5A/1, 1st Floor Opp. Police Station
Tilak Nagar, New Delhi-110018

सामान्य निर्देश

1. बेसिक ट्यूशन टीचर व अन्य पदों की तैनाती होने के उपरान्त अभ्यर्थियों को 3 माह के (टी0टी0सी0) प्रशिक्षण से गुजरना होगा। प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टाईपेंड) देय नहीं होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों से लिए जाने वाले प्रस्तावित शुल्क का मदवार विवरण टी.टी.सी. प्रोग्राम में दिया है।
2. उर्पयुक्त सभी पदों के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। उक्त योग्यता पूर्ण कर रहे अभ्यर्थियों को यह प्रशिक्षण “शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन” द्वारा कराया जायेगा।

शैक्षिक अर्हता:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी की शैक्षिक योग्यता:- विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त वि0वि0 द्वारा बी.एड., डी.एड., एम.ए. एजुकेशन, बी.पी.एड. डी.पी.एड. में उत्तीर्ण की हो।
2. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की शैक्षिक योग्यता:- विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त वि0वि0 द्वारा स्नातक किसी भी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
3. बेसिक टीचर योग्यता :- विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त वि0वि0 द्वारा स्नातक किसी भी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

मानदेय:-

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| 1. जिला शिक्षा अधिकारी | - | 16000/- |
| 2. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी | - | 12000/- |
| 3. बेसिक ट्यूशन टीचर | - | 4200/- |

आयुसीमा:- पद क्रम 1 व 2 के लिए शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से जारी आदेश के अनुसार न्यूनतम आयु 22 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष है। वहीं पद क्रम 3 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष है। आयुसीमा का निर्धारण लिखित परीक्षा की अन्तिम तिथि से किया जायेगा।

चयन प्रक्रिया:- अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा T-TET ट्यूशन-टीचर एलिजिविलिटी टैस्ट (ट्यूशन शिक्षक पात्रता परीक्षा) से गुजरना होगा। इस खण्ड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। प्रश्न सामान्य ज्ञान, प्रारम्भिक गणित, अभिरुचि हिन्दी व अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, कम्प्यूटर अध्ययन, बाल विकास एवं शिक्षण प्रश्नपत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। मैरिट लिस्ट सिर्फ लिखित परीक्षा में हासिल किये गये अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी हालांकि मैरिट लिस्ट में वही उम्मीदवार शामिल होंगे जो 45 प्रतिशत अंक T-TET परीक्षा में प्राप्त किये हो।

आरक्षण:-

- अ- भारत सरकार व राज्य सरकार के विद्यमान आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
ब- अनुसूचित जाति/अनु0जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
स- भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जायेगी।
द- विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट होगी।

अधिवास:-

बेसिक ट्यूशन टीचर पद हेतु अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। चयन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

नोट- जिला शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो आवेदन कर सकते हैं।

कार्यकाल:-

ई0आर0डी0ओ0 के तहत बेसिक ट्यूशन टीचर का कार्यकाल 11 माह का होगा एवं किसी भी शैक्षिक सत्र में 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगा। बेसिक ट्यूशन टीचर 31 मई तक मानदेय होगा।
बेसिक ट्यूशन टीचर के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष समाप्त होने से कम से कम एक माह पूर्व प्रारम्भ की जायेगी एवं सचिव की अनुमति से अगले शैक्षिक सत्र के लिए नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

अवकाश:-

बेसिक ट्यूशन टीचर को वर्ष में अधिकतम 11 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।

आवेदन शुल्क

- अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 400/- रुपये है तथा अनुसूचित जाति, और अजजा के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में सिर्फ 200/- रुपये का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा स्वीकार किया जायेगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट **Education Research and Development Organization** के पक्ष में **New Delhi** में भुगतान योग्य होना चाहिए। विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज :-

1. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, एवं जाति प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
2. दो नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। एक स्वयं पता लिखा लिफाफा जिस पर रु0 33/- के डाक टिकट लगे हों, आवेदन के साथ संलग्न करें।
3. आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर “आवेदित पद का नाम” मोटे अक्षरों में अवश्य लिखें।
कृपया विस्तृत विवरण, अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट **www.erdclasses.com** लॉग इन करें। आवेदन पत्र का प्रारूप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

नियम व शर्तें :-

1. अभ्यर्थी यदि एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने का इच्छुक है तो प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करें।
2. उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें।
3. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में निर्धारित बैंक डिमांड ड्राफ्ट अवश्य संलग्न करना होगा। आवेदन शुल्क रहित आवेदन पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थी का लिखित परीक्षा हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
5. विभाग का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा।